अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत अपीलवाद सं0- 40 /2020

झारखंड स्टेट फुड कमीशन, से दिनांक-01.07.2020 को ईमेल के माध्यम से शिकायकर्त्ता- पूनम देवी, पति-विनय प्रसाद साह, ग्राम-मोतिया पटवा, प्रखंड- गोड्डा जिला- गोड्डा द्वारा खाद्य सुरक्षा अनिधियम, 2013 के तहत् डीलर-उमेश प्रसाद यादव द्वारा राशन कार्ड में नया नाम जोडने के संबंध में झारखंड स्टेट फुड कमीशन के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुआ है।

अतः इस संबंध में शिकायतकर्त्ता एवं संबंधित जन वितरण प्रणाली के डीलर– उमेश प्रसाद यादव एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अद्यतन प्रतिवेदन के साथ दिनांक-20-07-2020 को कार्यालय अवधि में अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ट को उपस्थित रहने का निदेश दिया जाता है। शिकायतकर्त्ता स्वयं उपस्थित होकर या प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।
09/07/20

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।
09/07/20

20/07/20 आवेदिका अनुपस्थित। M.O. उपस्थित है। उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अनुसार राशनकार्ड में नया नाम विभागीय निर्देशानुसार SC/ST एवं असाध्य रोग से पीड़ित का ही नाम जोड़ा जा रहा है। Disposed

20/07/20

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

पत्र संख्या ...75.../रा0 दिनांक– 09-07-2020

खाद्य सुरक्षा अधिनियम अपील सं0–40/2020

नोटिश बनाम् :– 1. प्रखंड अपूर्ति पदाधिकारी,
गोड्डा।
2. संबंधित ग्राम के जन वितरण प्रणाली के
डीलर– उमेश प्रसाद यादव, पटवा गोड्डा।

विषय :– खाद्य सुरक्षा अधिनियम अपील सं0–40/2020 में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के संबंध मे।

वजरिये नोटिस आपको आगाह किया जाता है शिकायकर्त्ता– **पूनम देवी, पति–विनय प्रसाद साह, ग्राम–मोतिया पटवा, प्रखंड– गोड्डा जिला– गोड्डा** का खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत् डीलर– उमेश प्रसाद यादव द्वारा राशन कार्ड **में नया नाम जोडने के संबंध में** झारखंड स्टेट फुड कमीशन के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुआ है। उक्त मामल में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक–20-07-2020 को तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है, कि उक्त निर्धारित तिथि को प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।

इसे शख्त ताकिद जाने।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

ज्ञापांक...75.../रा0 दिनांक– 09-07-2020

प्रतिलिपिः– **पूनम देवी, पिता–विनय प्रसाद साह, ग्राम–मोतिया पटवा, प्रखंड– गोड्डा जिला– गोड्डा** को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उल्लेखित तिथि को आप स्वयं अद्योहसताक्षरी के न्यायालय में अथवा प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

ज्ञापांक...75.../रा0 दिनांक– 09-07-2020

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शिकायतकर्त्ता सहित सभी संबंधितों को निर्धारित तिथि के पूर्व तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन भेंजे।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

ज्ञापांक 75 / रा0 दिनांक– 09-07-2020

प्रतिलिपि– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संबंधित आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र का तामिला करायेंगे ताकि निर्धारित तिथि को उपस्थित रहें।

09/07/20

अपर समाहर्ता,
गोड्डा।